न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

माता–पिता भरण पोषण अपील संख्याः 02 / 2025

दायर दिनांकः 03.03.2025

निर्णय दिनांक 13.02.2026

–:अनवानः–

1. सुभाष प्रजापत पिता श्री घनश्याम जी प्रजापत जाति कुम्हार निवासी पुराने गैस गोदाम के पास, गुंजोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
2. कैलाश प्रजापत पिता श्री घनश्याम जी प्रजापत जाति कुम्हार निवासी सुखाडिया नगर, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

– – अपीलाण्टगण

बनाम

1. श्रीमति कंकुबाई पत्नि स्व0 श्री घनश्याम जी प्रजापत जाति कुम्हार निवासी सुखाडिया नगर, नाथद्वारा हाल निवासी मानसी रेजीडेन्सी महावीर कॉम्प्लेक्स के पास, बस स्टेण्ड, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
2. श्रीमति बबली देवी पत्नि स्व श्री दिनेश प्रजापत निवासी कुम्हार वाडा नाथद्वारा जिला राजसमंद
3. थानाधिकारी, पुलिस थाना नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

– – रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता अभिभावको एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थितः–

1– श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता अपीलाण्ट
2– श्री विक्रम कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1
3– रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता अभिभावको एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संख्या 01, जो कि अपीलार्थीगण की माता है, के द्वारा माता पिता अभिभावको एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत आवेदन उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 01 जिसकी आयु करीब 70 वर्ष होकर श्री घनश्याम जी की विधवा है जो पक्षकारगण के पूर्वाधिकारी हैं। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा मिथ्या तरीके से यह अभिवचित किया गया कि नगर नाथद्वारा में सुखाडिया नगर क्षेत्र में मकान मय भूखण्ड संख्या 17–द जो प्रत्यर्थी संख्या 01 की स्वोपार्जित सम्पत्ति है एवं उसके पडौस इस प्रकार है कि पूर्व में– आम रास्ता, पश्चिम में– अन्य मकान उत्तर में– अन्य मकान व दक्षिण में– शशिकान्त महाकाली का मकान एवं उक्त मकान प्रार्थिया को नगरपालिका नाथद्वारा से दिनांक 20.06.1988 को आवन्टित किया गया जिसके क्रमांक 518/सेल/ एमबीएन 27/88–89 हैं। तत्पश्चात प्रत्यर्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उसके द्वारा दिनांक 18.07.1988 को जरिये तामीर स्वीकृति पत्रावली संख्या 94/88–89 से एक मंजिला पट्टी पोश मकान का निर्माण कार्य निर्मित किया गया। प्रत्यर्थी ने स्वयं को उक्त मकान उसकी अर्जित सम्पत्ति का बता कर स्वयं को स्वामिनी अभिकथित करते हुए मिथ्या वाद कारण उत्पन्न कर अपीलार्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 के दिवंगत पति स्व0 दिनेश प्रजापत पर मिथ्या एवं मनगढन्त आरोप मढकर प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में आदेश पारित करवाया है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण पर उनके पूर्वाधिकारियो की मृत्यु दिनांक 17.10.2020 के बाद प्रत्यर्थी से दुर्व्यवहार करने जलील करने व मारपीट करने का निराधार आरोप लगाकर न्यायालय को गुमराह कर मिथ्या अभिवचन करते हुए विधि एवं तथ्यो से सर्वथा विपरीत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा के आदेश दिनांक 06.12.2024 से व्यथित होकर इन आधारो पर अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा के द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 06.12.2024 तथ्यो एवं विधि के सर्वथा विपरीत है। नैसर्गिक न्याय के प्रथम एवं महत्वपूर्ण सिद्धान्त AUDI ALTERAM PARTEM अर्थात दूसरे पक्ष को भी सुना जाऐ, का प्रस्तुत प्रकरण में अनुसरण ही नहीं किया गया । उक्त प्रकरण गुणावगुण पर दोनो पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर विनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक था जबकि प्रकरण में अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है जो विधि के सर्वथा विपरीत है। उक्त प्रकरण दिनांक 06.12.2024 से पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन प्रकरण दिनांक 08.11.2024 तक अपीलार्थीगण अर्थात् विपक्षीगण की साक्ष्य के स्तर पर लम्बित था तथा अपीलार्थीगण को अपनी ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर न्यायालय में उचित प्रतिरक्षा की जानी थी परन्तु

पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पेशी तारीख 22.11.2024 उभय पक्ष की उपस्थिति में दी गई। तत्पश्चात दिनांक 08.11.2024 को ही प्रकरण में आगामी तारीख दिनांक 13.11.2024 बिना विपक्षीगण को सूचना देकर कार्यालय स्तर पर ही बदल दी गई जिससे अपीलार्थीगण को कभी आगामी निर्धारित पेशी की सूचना ही नही थी। इसके उपरान्त दिनांक 20.11.2024 को भी विपक्षीगण को सूचना दिए बिना पत्रावली रखी जाकर पत्रावली को सीधे ही बहस में रखी जाकर एक पक्षीय बहस सुनी गई जिसकी विपक्षीगण/अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नही थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सीधे ही प्रकरण को तथ्यो एवं विधि से परे जाकर विपक्षीगण की अनुपस्थिति में उक्त प्रकरण एकपक्षीय बहस सुनकर निस्तारित कर अपीलार्थीगण के विरूद्ध विनिर्णीत कर दिया। प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा अपने पिता के जीवन काल में ही उनकी समस्त जायदाद का विभाजन कर देने एवं उनकी सम्पत्तियो के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नाथद्वारा में एक सिविल वाद बअनवान रैखा बनाम कंकुबाई वगैरह प्रस्तुत करने का अभिवचन कर जवाब प्रस्तुत किया गया था। साथ ही यह भी अभिवचित किया गया कि उक्त मकान जो सुखाडिया नगर नाथद्वारा में स्थित है उसे बंटवारे में अपीलार्थी संख्या 02 को दिया गया फिर भी एक सिविल वाद के लम्बित रहते अधीनस्थ न्यायालय श्री उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा ने प्रकरण में अपीलार्थीगण के सुखाडिया नगर में स्थित मकान को प्रत्यर्थी संख्या 01 को सिपुर्द करने का तथ्यो एवं विधि के परे आदेश पारित कर भारी भूल की है। यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 01 के पास आय के पर्याप्त साधन हैं तथा अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी श्री घनश्याम जी ने अपने जीवन काल में ही उनकी पत्नि के भरण पोषण की उचित व्यवस्था कर 24,00,000/– रूपये चौइस लाख रूपये, 20 तोला स्वर्ण एवं 05 किग्रा चांदी के आभूषण प्रत्यर्थी संख्या 01 को दे दिए थे जिनका विधिवत विभाजन करने का दायित्व प्रत्यर्थी संख्या 01 का था। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने उक्त समस्त चल सम्पत्ति जो स्व0 श्री घनश्याम जी की स्वोपार्जित सम्पत्ति थी उसका न तो वैध तरीके से बंटवारा किया अपितु उक्त चल सम्पत्ति को हडप कर अपनी पुत्री श्रीमति रेखा के बहकावे में आकर अपीलार्थीगण के विरूद्ध मिथ्या प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट में पेश कर आदेश प्राप्त किया है। अपीलार्थीगण अपनी माता से नैसर्गिक स्नेह करते है एवं उनके द्वारा न तो कभी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार प्रत्यर्थी संख्या 01 के साथ किया गया और न ही उनके भरण पोषण में भी कोई कमी रखी। अपीलार्थी आज दिनांक तक प्रत्यर्थी के भरण पोषण हेतु तत्पर एवं रजामन्द है परन्तु यदि आदेश दिनांक 06.12.2024 को यथावत पालन कराया गया तो अपीलार्थी संख्या 02 निराश्रय एवं बेघर हो जाएगा। अपीलार्थी संख्या 02 द्वारा अपनी स्वयं की आय से उक्त मकान में काफी धन व्यय किया गया है एवं उसके पास उक्त मकान के

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतिरिक्त आवास की कोई अन्य व्यवस्था भी नही है जिससे उक्त आदेश को अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। स्व0 श्री घनश्याम जी ने पंजीयन खर्च बचाने एवं राजकीय योजनाओ का लाभ लेने के आशय से उक्त मकान को अपनी अर्धांगिनी श्रीमति कंकुबाई प्रत्यर्थी संख्या 01 के नाम से क्रय कर निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर गृह निर्माण कराया। प्रत्यर्थी संख्या 01 के लिए अपने दिवंगत पति के आर्थिक सहयोग के बिना उक्त मकान क्रय करना एवं निर्माण कार्य किया जाना असम्भव था। अतः प्रार्थना है कि 1. अपीलार्थीगण द्वारा पेश अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपास्त किया जावे। 2. कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट में उभय पक्ष की मौजूदगी में उपयुक्त सुनवाई के उपरान्त प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर विनिश्चित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे जिससे अपीलार्थीगण को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त होकर सके। 3. कि दौराने अपील की सुनवाई प्रकरण में आदेश दिनांक 06.12.2024 के निष्पादन रोके रखने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम कुमावत ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01, जो कि अपीलार्थीगण की माता है, के द्वारा माता पिता अभिभावको एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत आवेदन उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 01 जिसकी आयु करीब 70 वर्ष होकर श्री घनश्याम जी की विधवा है जो पक्षकारगण के पूर्वाधिकारी हैं। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा मिथ्या तरीके से यह अभिवचित किया गया कि नगर नाथद्वारा में सुखाडिया नगर क्षेत्र में मकान मय भूखण्ड संख्या 17–द जो प्रत्यर्थी संख्या 01 की स्वोपार्जित सम्पत्ति है एवं उसके पडौस इस प्रकार है कि पूर्व में– आम रास्ता, पश्चिम में– अन्य मकान उत्तर में– अन्य मकान व दक्षिण में– शशिकान्त महाकाली का मकान एवं उक्त मकान प्रार्थिया को नगरपालिका नाथद्वारा से दिनांक 20–06–1988 को आवन्टित किया गया जिसके क्रमांक 518/सेल/

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

एमबीएन 27/88–89 हैं। तत्पश्चात प्रत्यर्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उसके द्वारा दिनांक 18.07.1988 को जरिये तामीर स्वीकृति पत्रावली संख्या 94/88–89 से एक मंजिला पट्टी पोश मकान का निर्माण कार्य निर्मित किया गया। प्रत्यर्थी ने स्वयं को उक्त मकान उसकी अर्जित सम्पत्ति का बता कर स्वयं को स्वामिनी अभिकथित करते हुए मिथ्या वाद कारण उत्पन्न कर अपीलार्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 के दिवंगत पति स्व0 दिनेश प्रजापत पर मिथ्या एवं मनगढन्त आरोप मढकर प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में आदेश पारित करवाया है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण पर उनके पूर्वाधिकारियो की मृत्यु दिनांक 17.10.2020 के बाद प्रत्यर्थी से दुर्व्यवहार करने जलील करने व मारपीट करने का निराधार आरोप लगाकर न्यायालय को गुमराह कर मिथ्या अभिवचन करते हुए विधि एवं तथ्यो से सर्वथा विपरीत आदेश पारित किया गया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा के द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 06.12.2024 तथ्यो एवं विधि के सर्वथा विपरीत है। नैसर्गिक न्याय के प्रथम एवं महत्वपूर्ण सिद्धान्त AUDI ALTERAM PARTEM अर्थात दूसरे पक्ष को भी सुना जाऐ, का प्रस्तुत प्रकरण में अनुसरण ही नहीं किया गया। उक्त प्रकरण गुणावगुण पर दोनो पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर विनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक था जबकि प्रकरण में अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है जो विधि के सर्वथा विपरीत है। उक्त प्रकरण दिनांक 06.12.2024 से पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन प्रकरण दिनांक 08.11.2024 तक अपीलार्थीगण अर्थात् विपक्षीगण की साक्ष्य के स्तर पर लम्बित था तथा अपीलार्थीगण को अपनी ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर न्यायालय में उचित प्रतिरक्षा की जानी थी परन्तु पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पेशी तारीख 22.11.2024 उभय पक्ष की उपस्थिति में दी गई। तत्पश्चात दिनांक 08.11.2024 को ही प्रकरण में आगामी तारीख दिनांक 13.11.2024 बिना विपक्षीगण को सूचना देकर कार्यालय स्तर पर ही बदल दी गई जिससे अपीलार्थीगण को कभी आगामी निर्धारित पेशी की सूचना ही नही थी। इसके उपरान्त दिनांक 20.11.2024 को भी विपक्षीगण को सूचना दिए बिना पत्रावली रखी जाकर पत्रावली को सीधे ही बहस में रखी जाकर एक पक्षीय बहस सुनी गई जिसकी विपक्षीगण/अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नही थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सीधे ही प्रकरण को तथ्यो एवं विधि से परे जाकर विपक्षीगण की अनुपस्थिति में उक्त प्रकरण एकपक्षीय बहस सुनकर निस्तारित कर अपीलार्थीगण के विरूद्ध विनिर्णीत कर दिया। प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा अपने पिता के जीवन काल में ही उनकी समस्त जायदाद का विभाजन कर देने एवं उनकी सम्पत्तियो के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल

न्यायाधीश नाथद्वारा में एक सिविल वाद बअनवान रैखा बनाम कंकुबाई वगैरह प्रस्तुत करने का अभिवचन कर जवाब प्रस्तुत किया गया था। साथ ही यह भी अभिवचित किया गया कि उक्त मकान जो सुखाडिया नगर नाथद्वारा में स्थित है उसे बंटवारे में अपीलार्थी संख्या 02 को दिया गया फिर भी एक सिविल वाद के लम्बित रहते अधीनस्थ न्यायालय श्री उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा ने प्रकरण में अपीलार्थीगण के सुखाडिया नगर में स्थित मकान को प्रत्यर्थी संख्या 01 को सिपुर्द करने का तथ्यो एवं विधि के परे आदेश पारित कर भारी भूल की है। यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 01 के पास आय के पर्याप्त साधन हैं तथा अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी श्री घनश्याम जी ने अपने जीवन काल में ही उनकी पत्नि के भरण पोषण की उचित व्यवस्था कर 24,00,000/– रूपये चौइस लाख रूपये, 20 तोला स्वर्ण एवं 05 किग्रा चांदी के आभूषण प्रत्यर्थी संख्या 01 को दे दिए थे जिनका विधिवत विभाजन करने का दायित्व प्रत्यर्थी संख्या 01 का था। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने उक्त समस्त चल सम्पत्ति जो स्व0 श्री घनश्याम जी की स्वोपार्जित सम्पत्ति थी उसका न तो वैध तरीके से बंटवारा किया अपितु उक्त चल सम्पत्ति को हड़प कर अपनी पुत्री श्रीमति रेखा के बहकावे में आकर अपीलार्थीगण के विरूद्ध मिथ्या प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट में पेश कर आदेश प्राप्त किया है। अपीलार्थीगण अपनी माता से नैसर्गिक स्नेह करते है एवं उनके द्वारा न तो कभी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार प्रत्यर्थी संख्या 01 के साथ किया गया और न ही उनके भरण पोषण में भी कोई कमी रखी। अपीलार्थी आज दिनांक तक प्रत्यर्थी के भरण पोषण हेतु तत्पर एवं रजामन्द है परन्तु यदि आदेश दिनांक 06.12.2024 को यथावत पालन कराया गया तो अपीलार्थी संख्या 02 निराश्रय एवं बेघर हो जाएगा। स्व0 श्री घनश्याम जी ने पंजीयन खर्च बचाने एवं राजकीय योजनाओ का लाभ लेने के आशय से उक्त मकान को अपनी अर्धागिनी श्रीमति कंकुबाई प्रत्यर्थी संख्या 01 के नाम से क्रय कर निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर गृह निर्माण कराया। प्रत्यर्थी संख्या 01 के लिए अपने दिवंगत पति के आर्थिक सहयोग के बिना उक्त मकान क्रय करना एवं निर्माण कार्य किया जाना असम्भव था। अतः प्रार्थना है कि 1. अपीलार्थीगण द्वारा पेश अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपास्त किया जावे। 2. कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट में उभय पक्ष की मौजूदगी में उपयुक्त सुनवाई के उपरान्त प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर विनिश्चित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे जिससे अपीलार्थीगण को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त होकर सके। 3. कि दौराने अपील की सुनवाई प्रकरण में आदेश दिनांक 06.12.2024 के निष्पादन रोके रखने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर समुचित न्यायिक प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट एक वृद्ध महिला है, रेस्पोडेन्ट के संताने होने के बावजूद अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट वृद्ध महिला को बेसहारा छोड़ रखा है जिसके कारण उसे अन्यत्र किराये के मकान में रहना पड़ रहा है। नाथद्वारा में तीन–तीन मकान होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट को निराश्रित होकर निवास करना पड़ रहा है। तथा संतानों द्वारा इसका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो गुजारा भत्ता निर्धारित किया था उसका भुगतान भी नही किया गया। तथा सुखाड़िया नगर वाला मकान रेस्पोडेन्ट का स्व अर्जित मकान है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से उक्त अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भरण–पोषण के वाद में आवासीय संपत्तियों के विभाजन का आदेश इस प्रकार दिया था कि अपीलार्थी सुभाष, कैलाश और बबली देवी को ग्राम गुंजोल स्थित मकान में रहने का निर्देश दिया गया था। प्रत्यर्थी श्रीमती कंकू बाई को कुम्हारवाड़ा और सुखाड़िया नगर स्थित मकानों में रहने का निर्देश दिया गया था।

उक्त संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। उक्त भरण–पोषण के दावे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्ग माता–पिता को उनके बच्चों या बहुओं द्वारा परेशान न किया जाए और वे अपने द्वारा बनाए गए घर में सम्मानपूर्वक रह सकें। अधीनस्थ न्यायालय ने भरण–पोषण के मुकदमे के भीतर संपत्तियों का औपचारिक विभाजन करके त्रुटि की है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से एक अकेली बुजुर्ग महिला (प्रत्यर्थी) के लिए दो अलग–अलग मकानों का रखरखाव करना न तो व्यावहारिक है और न ही संभव है, जबकि तीन परिवारों को एक ही मकान में रखा गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशित गुजारा भत्ता राशि को यह न्यायालय उचित समझता है और उसे बरकरार रखा जाता है। साथ ही यह न्यायालय आदेशित करता है कि बकाया गुजारा भत्ता राशि और ब्याज यदि अपीलार्थियों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, तो उन्हें 12 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त भुगतान राशि इस आदेश के एक माह के भीतर किया जाना अपीलार्थी सुनिश्चित करेगें तथा उक्त भुगतान की प्राप्ति रसीद अपीलार्थियों द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है।

साथ ही यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को इस सीमा तक संशोधित करता है कि अपीलार्थी श्री सुभाष, श्री कैलाश और श्रीमती बबली देवी को ग्राम गुंजोल और कुम्हारवाड़ा स्थित मकानों में रहने की अनुमति दी जाती है और प्रत्यर्थी श्रीमती कंकू बाई को सुंखाड़िया नगर स्थित मकान में रहने का विशेष अधिकार देता हैं।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)